(5)

संख्या सा-3-923/दस-96-17-95

प्रेषक,

श्री पी0 के0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 19 अगस्त, 1996

विषयः-उत्तर प्रदेश सरकार में पेंशन अदालत गठित किया जाना।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने अपने पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लम्बित पेंशन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित किये जाने हेतु सदैव प्रयत्नशील है तथा इस संदर्भ में समय-समय पर आवश्यक आदेश भी निर्गत किए गए हैं। फिर भी इस दिशा में वांछित गति नहीं प्राप्त की जा सकी है। ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि प्रायः सभी विभागों में ऐसे पेंशन प्रकरण भी हैं जो या तो विवादित हैं या अति दीर्घकाल से लम्बित हैं। ऐसे प्रकरणों को निस्तारित कराने की अधिक आवश्यकता है। अतएव सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त प्रकार के लम्बित/विवादित पेंशन प्रकरणों को यथास्थान निस्तारित कराने हेतु श्री राज्यपाल महोदय ने पेंशन अदालत गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। पेंशन अदालत की रूपरेखा निम्नवत् होगीः--

पेंशन अदालत के सदस्यः--

(1)	वित्त सचिव	अध्यक्ष
(2)	सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य
(3)	सचिव, संबंधित विभाग या नामित व्यक्ति, जो उप सचिव स्तर से निम्न स्तर का न हो	सदस्य
(4)	सचिव, न्याय विभाग या नामित व्यक्ति, जो उप सचिव स्तर से निम्न स्तर का न हो	सदस्य
(5)	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(6)	निदेशक, पेंशन	सदस्य- नोडल अधिकारी

पेंशन अदालत का कार्यक्षेत्रः--

पेंशन अदालत में निम्न प्रकार के मामलों पर विचार किया जायेगा--

(1) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ऐसे मामले जिनकी पेंशन/ग्रेच्युटी स्वीकृत न हुई हो।

(2) पेंशन के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के विरुद्ध पेंशनर द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार।

(3) सेवानिवृत्ति के उपरान्त यदि वेतन आदि का पुनरीक्षण किया गया है, तो तद्नुसार पेंशन पुनरीक्षण के मामले।

(4) ऐसे प्रकरणों, जिनके निस्तारण में प्रशासकीय विभाग और पेंशन विभाग में मतभेद हो।

(5) ऐसे प्रकरण, जो न्यायालय में लम्बित हों, परन्तु पेंशनर उसे न्यायालय से बाहर निस्तारित कराने के इच्छुक हों।

(6) पेंशनरों की अन्य शिकायतों के संबंध में।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी उक्त संदर्भित बिन्दुओं पर विचार करने के लिए अपना प्रत्यावेदन पेंशन अदालत को संदर्भित कर सकते हैं। प्रत्यावेदन की एक प्रति अपने प्रशासकीय विभाग, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हों, को भी देंगे।

पेंशन अदालत से संबंधित नोडल अधिकारी संदर्भित मामलों का परीक्षण करके अध्यक्ष की अनुमति से पेंशन अदालत की तिथि निर्धारित करेंगे। उस तिथि से दो माह पूर्व संबंधित वादी को तथा प्रशासकीय विभाग एवं विभागाध्यक्ष को भी सूचित करेंगे, पेंशन अदालत के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन के माध्यम से एवं रेडियो के माध्यम से प्रचार करवायेंगे। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ऐसे प्रार्थना-पत्रों को उनके सम्पूर्ण विवरण सहित नोडल अधिकारी अर्थात पेंशन निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को एक सप्ताह के अन्दर संदर्भित करेंगे। जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के मामले अदालत में सुने जायेंगे उन पेंशनरों को अदालत की बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दे दी जायेगी। इसकी सूचना संबंधित पेंशनर के प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को भी दी जायेगी, जो पेंशन अदालत में सुनवाई के समय उपस्थित रहेंगे।

पेंशन निदेशक विभिन्न जनपदों में लम्बित पेंशन प्रकरणों को देखते हुए एवं आवश्यकतानुसार पेंशन अदालत लगाए जाने के संबंध में माह एवं तिथि प्रस्तावित तिथि सहित अपना प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करेंगे तथा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार अदालतों का स्थान/तिथि एवं समय की घोषणा की जाएगी जिससे कि पेंशन अदालत गठित किए जाने के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके।

भवदीय,
पी0 के0 मिश्र,
सचिव।

संख्या सा-3-923(1)/दस-96-17-95, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1- महालेखाकार (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
6- विधान सभा/विधान परिषद, सचिवालय।
7- राज्यपाल सचिवालय।
8- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- ...ना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- ...ण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

) 96-सामान्य वित्त-17-9-98-(1231)-12,000 (इले0/आफसेट)।